कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी, सूरजपुर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर
पत्र क्र. 93 दिनांक 15/05/17
शाखा भू अर्जन
11 MAY 2017
अधीक्षक कलेक्टर

क्रमांक / /मु.लि. / 2017 सूरजपुर, दिनांक मई 2017

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.),

विषय :– भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 / अ–82 / 2016–17, ग्राम–पवनपुर में अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

––::––

विषयांतर्गत भू–अर्जन प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) अधिसूचना तीन तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 696A /मु.लि. / 2017 सूरजपुर, दिनांक 08 मई 2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा / एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक–एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित जिला कार्यालय / अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।
3. तहसीलदार, रामानुजनगर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 31 /03/2017

रा.प्र.क्र. 17/अ–82/16–17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिले एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :–

–:: अनुसूची ::–

भूमि का प्रकार					धारा–12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पवनपुर / प.ह.नं. 27	213 263 264 265	0.05 0.16 0.11 0.30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग–सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)	पवनपुर बिठियापारा से परमेश्वरपुर मार्ग का निर्माण कार्य
		योग :–	4	0.62		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014, दिनांक 27 मई 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

भू–अर्जन अधिकारी
एवं अ.वि.अ. (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर

(जी.आर.चुरेन्द्र)
कलेक्टर,
जिला–सूरजपुर
एवं पदेन संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग